...ालय उपखण्ड अधिकारी, नगरफोर्ट, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी नगरफोर्ट द्वारा अध्यासित)

...ल संख्याः– 216 / 2024 निर्णय दिनांक :– 14/6/24

...वानी प्रार्थना पत्रः–

1. हरिशंकर पुत्र छोटू जाति माली निवासी नगर तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
2. रामबाई पुत्र छोटू जाति माली निवासी नगर तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
3. ममता पुत्री छोटू जाति माली निवासी नगर तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
4. गीता पुत्री छोटू जाति माली निवासी नगर तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0
5. अमरी पत्नि छोटू जाति माली निवासी नगर तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :– श्री आलोक कुमार शर्मा **तहसीलदार नगरफोर्ट**
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 777 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 778 रकबा 0.76 है0, व खसरा नम्बर 691 रकबा 0.59 है0 वाके ग्राम नगर तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी की जमीन के आस पास पडोसियों से आये दिन सीमा को लेकर विवाद होता रहता है लडाई झगडा होते है इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के उपरोक्त वर्णित भूमि पर पत्थरगढी करवाना चाहते है, पत्थरगढी होने से प्रार्थीगण व आस पास पडोसियो के मध्य सीमा को लेकर जो विवाद होता है वह हमेशा केए समाप्त हो जायेगा। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाया था लेकिन सीमाज्ञान के चिन्ह मिट जाने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार

...य को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार नगरफोर्ट को ...मानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार नगरफोर्ट की तलबी जारी की गई। तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :– उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है किसी अन्य खातेदार का कब्जा काश्त नही है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारो से सीमा विवाद नही है। उक्त आराजी के सम्बंध मे किसी भी पक्षकार का विरासत नामान्तकरण अवशेष नही है। उक्त आराजी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नही है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नही है और पूर्व में सीमाज्ञान हो चुका है।

पत्रावली बहस में नियत की गई । अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार नगरफोर्ट की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार नगरफोर्ट को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2071–74 में अंकित खसरा नम्बर 777 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 778 रकबा 0.76 है0, व खसरा नम्बर 691 रकबा 0.59 है0 वाके ग्राम नगर तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नगरफोर्ट